



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23865

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ब संख्या - 2026 की 447

सुखई मृतक के माध्यम से एवं अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: राम जनम शाही

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. सर्वप्रथम, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका की प्रार्थना संख्या 1 को आज दिवस के दौरान संशोधित करने हेतु प्रार्थना की और उन्हें अनुमति प्रदान की गई।

2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

3. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुतोषों हेतु दाखिल की गई है:-

"(i) प्रतिवादी संख्या 2 (उप संचालक चकबंदी, आजमगढ़) को यह समादेशित करते हुए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए कि वे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 48(1) के अन्तर्गत याचिकाकर्ता द्वारा वाद संख्या RST 0633/2019, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या 20195415600000633 (सुखई बनाम राम प्रवेश एवं अन्य) में दिनांक 17.01.2011 के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आदेश को प्रत्याहृत करने (recall) हेतु दाखिल दिनांक 10.12.2019 के पुनर्स्थापना आवेदन को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित नियत अवधि के भीतर विनिर्णीत करें।

(ii) कोई अन्य उचित आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय उचित एवं समुचित समझे।

(iii) याचिकाकर्ता को याचिका का वाद-व्यय अधिनिर्णीत किया जाए।"

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उक्त वाद को शीघ्रातिशीघ्र विनिर्णीत करने हेतु निर्देश जारी किया जाए।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, इस विषय को लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः यह न्यायालय रिट याचिका में उल्लिखित प्रकरण के गुणगुण पर कोई प्रेक्षण किए बगैर, वर्तमान रिट याचिका निर्देशित करते हुए अंतिमता से निस्तारित करना उचित समझता है कि प्रतिवादी संख्या 2 उक्त वाद को विधि अनुसार एक सकारण आदेश के माध्यम से, सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बगैर, शीघ्रातिशीघ्र तथा अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुतीकरण की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर विनिर्णीत करें।

6. उपर्युक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिमता से निस्तारित की जाती है।

4 फरवरी 2026

जी.के.जी.

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"